फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण **अप्रार्थी**

1 कसुआराम पुत्र शंकर पूरोहित जाति पूरोहित निवासी नून तहसील व जिला सिरोही हाल नि. नवसारी, गुजरात — बनाम — 1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 25/2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27–08–25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री नगेन्द्र मेड़तिया व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/504 दिनांक 18–06–2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी के नाम से ग्राम नून पटवार मण्डल फूंगणी तहसील सिरोही में खाता संख्या 35, 36, 227, 410 में खसरा नंबर खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थी की वर्णित खातेदारी भूमि में नाम कछुआराम पुत्र शंकर दर्ज है। मौका जांच फर्द दिनांक 16.06.2025 के अनुसार प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम आधारकार्ड 828333831015O/पैनकार्ड CWRP9662A/वोटर आईडी संख्या अनुसार नाम कसुआराम पुत्र शंकर पाया गया है। राजस्व रेकर्ड व पहचान दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न–भिन्न दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में पहचान दस्तावेजों के अनुसार नाम शुद्ध दर्ज किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***प्रार्थी के ग्राम पंचायत नून पटवार हल्का फूंगणी तहसील सिरोही के राजस्व जमाबंदी के संवत 2070–2073 के खाता संख्या 35, 36, 227, 410 में कछुआराम पुत्र शंकर व कछुआ पुत्र शंकर के स्थान पर कसुआराम पुत्र शंकर पूरोहित संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही	